न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

अपील संख्या 232/14 तारीख रजू– 16/09/2014

[illegible]सिंह पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास। ––अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,बरनाला। ––––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक–09/03/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, बरनाला द्वारा मिसल संख्या 172/14 मे पारित आदेश दिनांक 11/02/14 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जाखोलास खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 317 रकवा 0.15 हेक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर संवत 2070 रबी मे अनाधिकृत रूप से पाटोरपोश बनाकर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि ग्राम जाखोलासखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 317 के नये नम्बर 667/317 रकवा 8.00 बीघा चरागाह से आबादी मे परिवर्तन हुई है परन्तु नक्शे मे तरमीम नही हुई है। अदालत मातहत ने भ्रान्ति की वजह से अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही की है। परिवर्तित आराजी मे सभी व्यक्तियो के मकान बने हुए है परन्तु अदालत मातहत ने अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्जावेजात व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12/01/14 को अपीलार्थी के विरूद्व उक्त आराजी की अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 27/01/14 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसी दिन पटवारी हल्का के बयान लिये जाकर अपीलार्थी को सुनवाई तिथि 11/02/14 का नोटिस जारी किया है तथा पटवारी हल्का की अतिचार की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वकील अपीलार्थी ने ग्राम जाखोलासखुर्द की संवत 2069–2072 जमाबन्दी की छाया प्रति पेश की है जिसमे खसरा नम्बर 667/317 रकवा 2.00 हैक्टर गै0मु0आबादी मे दर्ज बताई है। वकील अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी के मकान गै0मु0आबादी मे बने हुए है चरागाह भूमि मे नही है परन्तु तरमीम नही होने के कारण अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्व उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अदालत मातहत से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर इस तथ्य की जॉच तरमीम करवायी जाकर करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के मकान अपीलार्थी को आवंटित आबादी भूमि मे बने हुए है अथवा चरागाह भूमि मे बने हुए है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(14)

<u>अपील संख्या 232/14 प्यारसिंह/सरकार</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर(भुगती गई सजा को छोडकर) अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर विवादग्रस्त आराजी की तरमीम करवायी जाकर यह जॉच करे कि अपीलार्थी के बने मकान आवंटित परिवर्तित आबादी भूमि मे है अथवा चरागाह भूमि मे। इस तथ्य की जॉच कर प्रकरण मे नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 09/03/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर